प्र.सं. 120/2019 अन्तर्गत 88 आरटीएक्ट 136 एलआरए
गोपाल बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
02.02.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। राजपैरोकार उपस्थित। वकील वादी ने निवेदन किया कि जवाब सरकार पूर्व में पेश हो चुका हैं। अतः सीधे बहस हेतु निवेदन किया। वकील वादी के प्रार्थना करने पर बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद वादी स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम बुटाराम के स्थान पर बुधराम की दुरूस्ती के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। बहस वकील वादी पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 7 जेकेएम तहसील रायसिंहनगर की खतौनी सं. 22/24 मु.नं. 48 प.नं. 181/387 के कि.नं. 5–6–15–16–24–25 में 1.518 है. कमाण्ड मय खाला भूमि खातेदारी वादी के नाम से हैं। वादी द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 10.01.1996 पंजीयन दिनांक 11.01.1996 के द्वारा खरीद की हुई हैं। खरीद मुताबिक जब बैयनामा का राजस्व अभिलेखों में वादी के नाम से अमल दरामद हुई तब वादी का नाम गोपाल पुत्र बुधराम की जगह गोपाल पुत्र बुटाराम लिख दिया गया हैं। जबकि वादी के पिता का नाम बुधराम हैं। वादी के दस्तावेज वादी के पिता के वास्तविक नाम बुधराम नाम से बने हुए हैं। अतः दुरूस्ती कर खातेदार घोषित करने हेतु निवेदन किया हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों मूल निवास प्रमाण पत्र, परिचय पत्र आदि की प्रतिलिपियां का अवलोकन किया। वादी द्वारा जमाबंदी, बैयनामा एवं इंतकाल की प्रति भी प्रस्तुत की गयी हैं। वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता हैं। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार कर वादी के नाम चक 7 जेकेएम तहसील रायसिंहनगर की खतौनी सं. 22/24 मु.नं. 48 प.नं. 181/387 के कि.नं. 5–6–15–16–24–25 की कुल 1.518 है. कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में वादी के पिता के नाम गोपाल पुत्र बुटाराम के स्थान पर गोपाल पुत्र बुधराम की दुरूस्ती की जाती हैं। तथा उक्तानुसार गोपाल पुत्र बुधराम को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाता हैं। शेष अंश बदस्तूर रहेगा। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी/राजस्व रायसिंहनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.03.04 14:23:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास : अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं.– 120/2019
जी.सी.एम.एस. : 2019/00257

1. गोपाल पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी हिन्दोर तहसील सूरतगढ़ हांल निवासी 7 जेकेएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0

–:वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–:प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट 136 एल.आर.एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांकः–02.02.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री सन्त कुमार बिश्नोई अधिवक्ता वादी, राजपैरोकार पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री की जाती है किः– वाद वादी स्वीकार कर वादी के नाम चक 7 जेकेएम तहसील रायसिंहनगर की खतौनी सं. 22/24 मु.नं. 48 प.नं. 181/387 के कि.नं. 5–6–15–16–24–25 की कुल 1.518 है. कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में वादी के पिता के नाम गोपाल पुत्र बुटाराम के स्थान पर गोपाल पुत्र बुधराम की दुरूस्ती की जाती हैं। तथा उक्तानुसार गोपाल पुत्र बुधराम को उक्त वर्णित भूमि का खातेदार घोषित किया जाता हैं। शेष अंकन बदस्तुर रहेगा।

डिक्री आज दिनांक 02.02.2021 को जारी की गई।

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.03.04 14:23:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner